

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1904

13.03.2023 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण

1904. श्री कृपाल बालाजी तुमाने :
श्रीमती भावना गवली (पाटील) :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को देश में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली असामयिक मौतों की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन के संपर्क में आने वाले शहरी लोगों के प्रतिशत का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) वर्ष 2024 तक इसे कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)' के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या एनसीएपी के तहत शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं में प्रभावित समुदायों और पर्यावरणविदों के हितधारक भी शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) भविष्य में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए कितने स्मार्ट शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव के संबंध में समय-समय पर विभिन्न संगठनों/संस्थानों द्वारा अनेक अध्ययन प्रकाशित किए गए हैं। ये अध्ययन, कम आबादी से लेकर अधिक आबादी के नमूनों से प्राप्त निष्कर्षों के गौण आंकड़ों, प्रतिमानों और बहिर्वेशन पर आधारित होते हैं। तथापि, देश में ऐसे कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे मृत्यु/रोग का विशिष्ट रूप से प्रदूषण के साथ प्रत्यक्ष सह-संबंध स्थापित हो। वायु प्रदूषण सहित प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव, अनेक कारकों जिनमें व्यक्तियों की खान-पान की आदतें, व्यावसायिक आदतें, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, चिकित्सा संबंधी इतिहास, प्रतिरक्षा, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं, की सहक्रियात्मक अभिव्यक्ति होती है।

(ग) परिवेशी वायु गुणवत्ता संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देश, संपूर्ण विश्व में नीति निर्माताओं को विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये दिशानिर्देश, विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, तथापि मानक, देश विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) स्वास्थ्य आधारित हैं तथा भारत की परिवेशी वायु गुणवत्ता की, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देश के बजाय एनएएक्यूएस के साथ तुलना करना अधिक उपयुक्त है।

वर्ष, 2021 के समेकित वार्षिक औसत आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) से अधिक सीमा वाले शहरों की संख्या नीचे दी गई है :

- 445 शहरों में से एक शहर में SO₂, 20 शहरों में NO₂ और 273 शहरों में PM₁₀ के स्तर राष्ट्रीय मानकों की सीमा से अधिक पाए गए।
- 300 शहरों में से 107 शहरों के मानक PM_{2.5} के संबंध में एनएएक्यूएस से अधिक पाए गए।

(घ) से (च) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत शहरों के लिए, आधार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 तक विविक्त कण 10 (PM₁₀) सांद्रणों में 20-30% की समग्र कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में संबंधित शहरों के लिए निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहरी स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करना अपेक्षित है।

शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नागरिक केंद्रित कार्रवाइयां करने हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए शहर में क्षमता निर्माण और जन संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनसीएपी के तहत राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर क्षमता निर्माण और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने हेतु दिनांक 10.08.2022 को दिशानिर्देश जारी किए हैं और एक रणनीति निर्धारित की है। शहर स्तरीय कार्य योजनाओं की निगरानी करने तथा कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु शहर को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों (आईओआर) को कार्य सौंपा जाता है।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत, परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल किए गए 100 शहरों में से 94 शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
